

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 92/2019 (2019/00174) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. डालु पिता जीतु बलाई,
2. जगदीश पिता पिता जीतु बलाई,
3. गजानन्द पिता पिता जीतु बलाई,
4. मु0 सायरी बेवा जीतु बलाई,

सर्व निवासी नान्दशा-के तहसील सहाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता भुरालाल महाजन,
2. नन्दा पिता जीतु बलाई
3. नैनुराम पिता जीतु बलाई
4. भैरू ति कालु लुहार
5. मांगु पिता भुरा लुहार,
6. शंकर पिता भुरा बलाई,
7. बंशी पिता मुला बलाई,
8. रतनलाल पिता लालु बलाई,
9. तेजा पिता कालु बलाई,
10. लोभा पिता हजारी बलाई
11. देवा पिता हीरा बलाई
12. भैरू पिता लेहरू जाट,
13. मांगु पिता जग्गु सालवी
14. मोहन पिता छोगा सालवी
15. हीरा पिता रामा सालवी
16. मांगु पिता रूपा सालवी
17. लोकेश पिता मोहन रेगर,
18. खेमा पिता मोहन रेगर,
19. शंकर पिता उदा रेगर

सर्व निवासी नान्दशा-के तहसील सहाड़ा।

20. हांसी पत्नि मांगु बलाई, निवासी सुरतसिंह जी का खेड़ा, तहसील सहाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 24/02/2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2956 रकबा 0.78हे0, 2970 रकबा 0.05हे0, 4816/2955 रकबा 0.72हे0 कुल किता 03 कुल रकबा

लगातार....

1.55हे0 राजस्व खाता संख्या 175 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2956 रकबा 0.78हे0, 2970 रकबा 0.05हे0, 4816/2955 रकबा 0.72हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.55हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक कों मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

